राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/एल0आर0/161/2006/भीलवाड़ा

धन्ना पिता कजोड़ भाट निवासी राणाजी का गुढ़ा, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, माण्डलगढ़।

.....रेस्पोडेन्ट

एकल–पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री माधोराज सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री शौकिन्द लाल गुर्जर, राजकीय उप अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27.10.2020

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 76 के अर्न्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 154/05 शीर्षक धन्ना बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31–10–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम राणा जी का गुढ़ा, तहसील बिजौलिया के बिलानाम आराजी नम्बर 535 रकबा 93.06 बीघा में से दिनांक 6.7.1989 को भू आवंटन कमेटी द्वारा 5 बीघा भूमि का आवंटन धन्ना पुत्र कजोड़ के पक्ष में किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 29.04.2005 के द्वारा इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया और आवंटी के पक्ष मे किये गए प्रश्नगत आंवटन को निरस्त किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–10–2005 से अपील को खारिज किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध मण्डल के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि रकबा 5 बीघा का आवंटन दिनांक 6.7.1989 को विधि सम्मत् रूप से किया गया था। प्रश्नगत भूमि वन विभाग की भूमि नहीं नही है और ना ही इसी नोटिफाइड किया गया है और ना ही इस भूमि पर वन विभाग का किसी प्रकार का कब्जा काश्त है। जिस विज्ञप्ति दिनांक 7.12.1982 को आधार बनाया गया है उसे स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया गया है की यह आवंटित भूमि से ही सम्बन्धित भूमि है । इस हेतु राजस्व विभाग के मुकाबले में सर्वे, राजस्व नक्शे में अंकन एवं जमाबन्दी में अंकन होने पर

ही वन विभाग की भूमि माना जाकर आवंटन प्रभावित हो सकता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में यह भी कथन किया कि आवंटन नियम 14(4) के तहत आवंटन को सिर्फ उसी स्थिति में निरस्त किया जा सकता है जब आवंटन फ्रॉड या मिसरिप्रैंजटेंसन से कराया गया हो। प्रश्नगत भूमि बिला नाम सरकार काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड होने से आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि कि श्रैणी में रही है और जो खसरा गिरदावरियां प्रस्तुत की गई उनसे अपीलार्थी के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है। आवंटन से पूर्व नियमों के तहत विधिवत उद्घोषणा की गई थी और परीक्षण उपरान्त आवंटन किया गया है। अपर कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा नियम 14(4) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आवंटन को निरस्त करने में त्रुटि की है और इसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाये और अपीलार्थी के पक्ष में किये गए आवंटन को बहाल किया जाये।

5– रैस्पो0 की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आवंटन भूमि गजट आदेश क्रमांक 2(20) राज. 8/82 दिनांक 7121982 से आवंटन के बाद वन विभाग के नाम दर्ज की गई और इसे किसी भी सक्षम अधिकारी से निरस्त नहीं किया गया है। केवल राजस्व अभिलेख में इसका समया रहते इन्द्राज नही होने से राजकीय भूमि मानते हुए अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन भूलवश कर दिया गया जो सही नही है। वन विभाग की भूमि आवंटन उपयुक्त भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। योग्य राजकीय अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व से आवंटनशुदा होने से ऑकूपाइड भूमि श्रैणी में रही है अतः इसका आवंटन सम्भव नहीं था। अपर कलक्टर द्वारा नियम 14(4) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आवंटन को निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय भी विधि सम्मत् है। समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप उचित नहीं होने से अपील खारिज की जाये।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि आराजी स्थित ग्राम राणा जी का गुढ़ा, तहसील बिजौलिया खसरा नम्बर 535 रकबा 93.06 बीघा में से दिनांक 6.7.1989 को भू आवंटन कमेटी द्वारा 5 बीघा भूमि का आवंटन अपीलार्थी धन्ना पुत्र कजोड़ के पक्ष में किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 29.04.2005 के द्वारा इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया और आवंटी के पक्ष मे किये गए प्रश्नगत आंवटन को निरस्त किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–10–2005 से अपील को खारिज किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि विज्ञप्ति संख्या 2(20) राज/8/82 दिनांक 7.12.1982 के द्वारा विभाग को आवंटन की गई थी और अपीलार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन दिनांक 6.7.1989 से पूर्व ही वन विभाग की आवंटन शुदा भूमि रही है। मात्र राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने से, प्रश्नगत भूमि को राजकीय भूमि होना मानते हुये भूलवश अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन किया गया है जब कि यह मान्य प्रावधाना है कि वन विभाग को आवंटित की गई भूमि का किसी व्यक्ति

विशेष के पक्ष में आवंटन किया जाना कानून सम्मत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा किसी भी राजस्व दस्तावेजात से इस तथ्य को पुष्ट नहीं किया है कि वन विभाग के पक्ष में जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 2(20) राज/8/82 दिनांक 7.12.1982 को किसी सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निरस्त किया गया है? अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा ने अपने निर्णय दिनांक 29.4. 2005 में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी को आवंटन से पहले ही माह दिसम्बर, 1982 में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हो कर वन विभाग को आवंटन कर दी गई थी और एक बार वन विभाग को भूमि आवंटन हो जाने पर केन्द्रीय सरकार से बिना पूर्व अनुमति के समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि अपर कलक्टर ने विधिक प्रावधानों व तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत निर्णय पारित किया है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी उचित रुप से इस निर्णय को पुष्ट किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तगत अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य